

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. ७०७/तक/मप्रग्रासप्रा/2024
प्रति,

बालाघाट दिनांक 18/03/2024

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

- विषय :-** बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) अन्तर्गत गोदरी हरनाला व्हाया दुगलई मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट की 1.092 हेक्टेयर एवं उत्तर बालाघाट की 6.468 हेक्टेयर कुल 7.560 हेक्टेयर वनभूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने बाबद्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156133/2022)
- संदर्भ :-** 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1255/2023/10-11/1090 भोपाल दिनांक 19.02.2024
2. आपका पत्र क्र. मा.चि./1547 बालाघाट दिनांक 26.02.2024


---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत गोदरी हरनाला व्हाया दुगलई मार्ग निर्माण हेतु 7.56 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों के तहत राशि केम्पा मद में जमा कर बैंक द्वारा जारी UTR No. की प्रति एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तें (भाग A अन्तर्गत 1 से 15 एवं भाग B अन्तर्गत 1 से 16) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्थ (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया गोदरी हरनाला व्हाया दुगलई मार्ग निर्माण हेतु 7.560 हेक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 18/03/2024

पृ. क्र. ७०८/तक/मप्रग्रासविप्रा/2024
प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी/उकवा (सा.) उपवनमंडल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
6. वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा परिक्षेत्र/दक्षिण उकवा (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।


महाप्रबंधक


म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - Godri Harranala Vaya Duglai,

Proposal No. - FP/MP/Road/156133/2022 - 7.56 Hact.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1	Cost of compensatory afforestation on the 15.12 ha. (out of 19.347 ha.) Chhote-Bade Jhad ka Jungle at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 19.347 हेक्टेयर की राशि रु. 5648652 प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156107/2022 में एकजाई राशि दिनांक 04.01.2024 को ऑनलाईन कैंपा मद में जमा करा दी गई है।
2	Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in favour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण करा दी गई है। कलेक्टर बालाघाट के आदेश क्रं. रा.प.क्र./0030/अ-591/वर्ष 2022-23 ग्राम बघोली, प.ह.नं. 13 द्वारा वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। (खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।)
3	Chhote Bade Jhad ka Jungle land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under section-4 or protected forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (S) of the State Forest Act, A Copy of the same may be submitted with Stage-I compliance report.	वन विभाग से संबंधित है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.560 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त के पालन के NPV की राशि दक्षिण वन मंडल में प्रभावित वनभूमि 1.092 हे. की राशि रु. 13,41,621.00 एवं उत्तर वन मंडल में प्रभावित वन भूमि 6.468 हे. की राशि रु. 79,46,520.00 कुल प्रभावित वन भूमि 7.56 हे. की कुल राशि रु. 92,88,141.00 दिनांक 15.03.2024 द्वारा जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न है।)


महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1.बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/156133/2022 - 7.56 Hact.

5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	वैकल्पिक वृक्षारोपन में NPV की राशि ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
6	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
7	All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied wherever applicable.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Despite repeated requests. The site inspection report is not being provided by the concerned CF. is not aware of the Sensitivity of the proposals and will himself inspect all the routes and submit a report as desired by the regional Empowered committee (REC) along with the compliance report. if any changes are required in accordance with his report they shall be incorporated and proposal amended accordingly.	वन विभाग से संबंधित है।
9	The concerned DFO shall examine the forest area proposed for diversion along with KML. Prepared for the same and submit a certificate about correctness of the KML file as per field conditions and updated working plan forest boundary. It shall also be certified that, the village along the proposed alignment is a notified revenue village outside the forest boundary as per the updated working plan boundary.	शर्त 5 के पालन में NFL and DFL गैर वन भूमि एवं वन भूमि पर तैयार CA योजना की KML File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
10	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	मार्ग की चौड़ाई 7.50 मी. पेड़ लगाना संभव नहीं है मार्ग के दोनों किनारे में पूर्व से ही पेड़ लगे हुए हैं। वन अधिकारी वनमंडल के द्वारा वृक्षारोपण किया जाना है।
11	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है।)


महाप्रबंधक

स.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
प्रति. कियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/156133/2022 - 7.56 Hact.


12	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
13	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation), Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
15	In case working permission is granted by the State Forest Department a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 15.72 ha. (out of 19.347 ha.) Chhote - Bade Jhad ka Jungle land at Khasra No. 08 Village Bagholi, Tehsil- Waraseoni District- Balaghat at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided.	वन विभाग से संबंधित है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है। (वचन पत्र संलग्न है।)
4	The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 15 number/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict Supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the felling.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/156133/2022 - 7.56 Hact.

5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे-किनारे वृक्ष खड़े हुए हैं। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
7	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


 General Manager
 M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

FP/MP/ROAD/1561 07/2022	ROAD/1561072 022384	61156107384	07-Nov-23
Newerwahi to Wardha Road construction under ROPLWEA scheme			
CA:	5648652/- , Addl CA :	0/-	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02-Jan-24
PCA:	0/- , CAT :	0/-	Generated Challan
Safety Zone:	0/- , Addl PA :	0/-	Bank Name : Union Bank Of India
NPV:	2420322/- , Other Charges :	0/-	Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)
CA RDF :	16216427/-		Challan Generated On : 02-Jan-24
Other Charges2 :	0/-		Transaction Date : 04-Jan-24
Other Charges3 :	0/-		
Total :	24285401/-		



महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन इकाई फं.1,बालाघाट



रक्षासूरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, २०२०

CLR No.: 11090416172

[illegible]

महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सहज विकास प्राधिकरण

७ प्ररि. कियान्दयन इकाइं क्रं. १. बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "गोदरी हरनाला व्हाया दुगलई सड़क निर्माण कार्य" हेतु आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण उकवा (सा.) वन कक्ष क्रमांक 1877, 1879, 1904, 1906, 1905, 1901, 1907 में रकबा 6.468 हेक्टे. एवं वनपरिक्षेत्र हट्टा (सा.) वन क्रमांक 200 में रकबा 1.092 हेक्टेयर इस प्रकार कुल वन क्षेत्र में रकबा 7.56 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।
- 2- ग्राम पंचायत बिठली (उ) जनपद पंचायत बैहर के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नहीं किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।
- 3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "गोदरी हरनाला व्हाया दुगलई सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति

(सदस्य)

वन मंडलाधिकारी
दक्षिण / उत्तर (सामान्य) वन
मंडल बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति

(अध्यक्ष)

कलेक्टर
जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति

FORM-I

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No. 2276.....

Dated... 15/6/2023...

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.56 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **Godari Harranala Via Duglai Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of Baihar South / North Forest Division, Forest Range- Baihar Forest **Block Baihar Tah./Block Baihar, Village- Bithli (U) in Compartment No. 1877, 1879, 1904, 1906, 1905, 1901, 1907 & 200 Total Area 7.56 Hec. in Forest land village(s) in Baihar** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.56 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02**.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent. to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:


(Dr. Girish Kumar Mishra)
Signature
(full name and official Seal of the District Collector)
COLLECTOR
BALAGHAT

—: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गोदरी हरनाला व्हाया दुगलई मार्ग आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण उकवा (सा.) वन कक्ष क्रमांक 1877, 1904, 1906, 1905, 1901, 1907 में रकबा 6.468 हेक्टे. एवं वन परिक्षेत्र हट्टा (सा.) वन क्रमांक 200 में रकबा 1.092 हेक्टेयर इस प्रकार कुल वन क्षेत्र में रकबा 7.56 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महाप्रबन्धक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गोदरी हरनाला ब्याया दुगलई मार्ग आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण उकवा (सा.) वन कक्ष क्रमांक 1877, 1904, 1906, 1905, 1901, 1907 में रकबा 6.468 हेक्टे. एवं वन परिक्षेत्र हट्टा (सा.) वन क्रमांक 200 में रकबा 1.092 हेक्टेयर इस प्रकार कुल वन क्षेत्र में रकबा 7.56 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।


महामंत्री

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: वन क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गोदरी हरनाला व्हाया दुगलई मार्ग आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण उकवा (सा.) वन कक्ष क्रमांक 1877, 1904, 1906, 1905, 1901, 1907 में रकबा 6.468 हेक्टे. एवं वन परिक्षेत्र हट्टा (सा.) वन क्रमांक 200 में रकबा 1.092 हेक्टेयर इस प्रकार कुल वन क्षेत्र में रकबा 7.56 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कोई भी वृक्ष नही काटे जावेगें। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

शाखा 9 अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) 462011 9 Arera hills Branch Bhopal (M.P.) 462011
अरेरा/MPRRDA/परिचालन 2023-24/15032024/001

दिनांक : 15.03.2024

प्रति,

म. प्र. ग्रामीण सड़क

विकास प्राधिकरण पारियोजना क्रिनावयन ईकाई

बालाघाट जिला- बालाघाट (म.प्र.)

महोदय,

विषय : खाता क्रमांक 1793102296 ऐडमिन मद से Ad-HOC CAMPA को NEFT करने विषयक .
सन्दर्भ: आपका पत्र क्र 655 मप्रग्रा सविप्रा/लेखा /2024 बालाघाट दिनांक 13.03.2024.


उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि खाता क्रमांक 1793102296 ऐडमिन मद से Ad-HOC CAMPA की राशि निम्नलिखित UTR के द्वारा प्रेषित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है

DATE	AMOUNT	UTR
15-03-2024	34049214	CBINH24075013028
15-03-2024	9288141	CBINH24075013027 ✓
15-03-2024	19313435	CBINH24075013026
15-03-2024	7356797	CBINH24075013025
15-03-2024	53230918	CBINH24075013024

आपकी ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित .



प्रबन्धक

अरेराहिल्स शाखा भोपाल


महाप्रबन्धक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
2	EP/MP/ROAD/156133/2022 Godri Harranala Via Dugali road under RCPLWEA Scheme	ROAD1561332022401	61156133401	13-Feb-24	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 9288141/- , Other charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 9288141/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 04-Mar-24 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06-Mar-24 Transaction Date : 15-Mar-24	Generated Challan


 महेश चंद्रा
 म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि. कियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट